

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गोण्डा।
सामान्य वाद संख्या- 1265/2021
दिलीप कुमार आदि बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि

दिनांक- 19/03/2025

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई।

बार-बार पुकार कराने पर पक्षकार अनुपस्थित। वादीगण की ओर से मौका/स्थगन प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण वाद चलाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसे में वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सामान्य वाद संख्या 1265/2021, दिलीप कुमार आदि बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनन्या साह)
सिविल जज (जू०डि०)
गोण्डा।